न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

(1) पंचायत निगरानी संख्या : 78/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/138

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीया :–
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली		1. खुशबू वैष्णव पत्नी कैलाश वैष्णव, 102 ठाकुरजी का मन्दिर, गॉव डूंगरपुर पोस्ट खाण्डी तहसील रोहट, जिला पाली

(2) पंचायत निगरानी संख्या : 173/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/288

प्रार्थीया:–	बनाम	अप्रार्थीया :–
1. भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत रोहट जिला पाली		1. खुशबु पत्नी कैलाश वैष्णव जाति वैष्णव निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट (पंचायत निगरानी संख्या 78/2024)
2. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी भरत पटेल की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 173/2024)

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.8.2024

विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 75/2017–18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 की पालना में अप्रार्थीया खुशबु वैष्णव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध होने के कारण दोनो पंचायत निगरानी को संयोजित कर निर्णय पारित किया गया।

उक्त दोनो निगरानी को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को लिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीया बावजूद नोटिस तामिली के वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पत्र पर प्रार्थी एवं सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही स्थल नक्शा पर आवेदक के हस्ताक्षर है। सरवर्क फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

सम्बन्ध में 2 गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा मिसल में दिनांक 05.10.2017 की कार्यवाही विवरण अपूर्ण है, साथ ही निर्णय पत्र अपूर्ण है। उक्त पट्टे की भूमि आबादी व राजस्व भूमि की सीमा पर है, जिस में कही पर भी खसरा नम्बर लिखे हुये नहीं है। मौके पर उक्त पट्टे की भूमि खाली है किसी प्रकार का मकान व रहवास नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी को नियम विरूद्ध जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

प्रार्थी भरत पटेल के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है और तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर राजस्व की हानी की है जबकि नियम के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने का दिनांक 20.09.2017 की ऑर्डरशीट में वर्णित है लेकिन ऐसा आक्षेप नोटिस की पुश्त पर चस्पानगी रिपोर्ट अंकित नहीं है। मिसल की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट निर्धारित कम्प्यूटर फॉमेर्ट में तैयार की गयी है जिसमें भी नाप व पडौस का विवरण खाली छोडा हुआ है। निर्णय पत्र अपूर्ण है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अप्रार्थीया ने पूर्व में जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत खाण्डी के ग्राम डुंगरपुर मे निवास करती है तथा मेरे नाम से ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जैर निगरानी पट्टा गलत तरीके से जारी किया गया है, क्योकि ग्राम पंचायत रोहट के ग्राम रोहट में अप्रार्थीया के नाम का कोई प्लाट नहीं है और न ही अप्रार्थीया द्वारा पट्टा बनाने हेतु किसी प्रकार का आवेदन किया गया था। ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थीया ने आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया है। अप्रार्थीया के नाम से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 75/2017–18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 की पालना में अप्रार्थीया खुशबु वैष्णव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का बिना दिनांक का आवेदन पत्र मय घोषण पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.09.2017 को मिसल कायम की गयी, जिसके द्वारा तीन सदस्यों की कमेटी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया लेकिन कमेटी में सदस्य कौन–कौन है के नाम मिसल में अंकित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नियम 146 (2) के अन्तर्गत – सचिव, ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल–निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रखेगा। सम्पूर्ण मिसल निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें दिनांक तथा आवदेक की जानकारी हस्तलिखित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की अक्षरशः पालना नहीं की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2017 को जारी आपत्ति ईश्तहार की पुश्त पर कोई जानकारी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आपत्ति ईश्तहार कब, कहां, किसके रूबरू चस्पा किया गया। जैर निगरानी भूखण्ड पर आवदेनकर्ता के कब्जा सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिये गये। जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे बदस्तूर रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकार अधिकारी जिला परिषद पाली के पत्र दिनांक 04.08.2021 की पालना में ग्राम पंचायत रोहट के पट्टो की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के प्रथम पैरा में अंकितानुसार पट्टा बुक नम्बर 05 पट्टा संख्या 07 खुशबु वैष्णव पत्नी कैलाश वैष्णव क्षेत्रफल 1715 वर्गफुट में पट्टाधारक के पति कनिष्ट सहायक है। उक्त पट्टा पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत पचास वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानो हेतु है लेकिन उक्त पट्टे कि भूमि पर किसी प्रकार का मकान/चार दिवारी बनी हुई नहीं है, वर्तमान में मौके पर अंग्रेजी बबूल की झाडिया उगी हुई है, जिससे ग्राम पंचायत की राजस्व हानि हुई है तथा मिसल में भी कमीया पाई गयी है, इस प्रकार यह पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये गये है। उक्त प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया का अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थीया को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

साथ ही अप्रार्थीया ने भी अपने जवाब में स्पष्ट अंकन किया कि अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत रोहट के समक्ष जैर निगरानी पट्टे हेतु न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया और न ही अप्रार्थीया के नाम का कोई प्लॉट रोहट में है फिर भी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा गलत तरीके से अप्रार्थीया के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टा अप्रार्थीया ने आज दिनांक तक प्राप्त नहीं किया है इसलिये यदि जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नहीं है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 75/2017–18, प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 05.10.2017 की पालना में अप्रार्थीया खुशबु वैष्णव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

11.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में दोनों पत्रावलियों के संलग्न किया जावें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)